Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अयुब व अन्य बनाम राईमन व अन्य

हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

प्रार्थना पत्र – 212 जा0दी0 संख्या 114/ वर्ष 2022

		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
022	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में साबित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 13.04.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 399/0.30, 445/0.10, 458/0.57, 468/0.97, 470/0.92, 471/0.13, 662/0.24, 730/0.65, 731/0.41, 732/0.33, 429/0.48, 430/0.27, 435/0.18, 472/0.05, 701/0.51, 707/0.28 है0 वाके ग्राम खेडी तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाब पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, बाद तलबी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) 13/04 आज पत्रावली पेश हुई।.....प्रार्थी.....उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार वास्ते...तलबी में दिनांक...24/06/22...को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी, तिजारा 22/06/22 आज पत्रावली प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। प्रार्थी द्वारा पत्रावली के पश्चात अलवाड जारी हो गया है अतः प्रार्थीगण के निवेदन पर पत्रावली जारी करते हुए पूर्व के प्रचलित ता आदेश जारी किया जाता। पत्रावली बाद निर्णय संलग्न अलवाड़ी उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	